

कैम्प दाखिल खारिज बाद सं..... 372/13-14

कायालिय अंचलाधिकारी, पटना सदर (पटना)

अंचलाधिकारी को ग्राम ३५८५ में आयोजित कैम्प में
श्री कुमार लक्ष्मण ने ५० उमाशंकर प्रसाद का
कुमार लक्ष्मण ने अप्रैल २०१३ को दाखिल खारिज किया।
 प्राप्ति थाना भावस्थला प्रभी जिला पटना
 बसोंचा नं. १६७५ दिनांक १८/५/१३ के द्वारा निम्नांकित जमीन का
 दाखिल खारिज के लिए अनुरोध किया है।

जमीन का विवरण

माँजा	थाना नं.	खाता नं.	स्लौट नं.	रक्वा	लगान
बिक्कुपुरा	२।	१६४	१५९६	१२००	१००

18/5/13

कैम्प में उपस्थित राजस्व/कर्मचारी पर अंचल निरीक्षक से जांच करायी गयी। जांच प्रतिवेदन अभिलेख में
 संलग्न है। उन्होंने आवेदक के नाम से दाखिल खारिज करने की अनुशंसा किए हैं। कैम्प में उपस्थिति
 व्यवितरणों को नामान्तरण की दशा में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज
 किया जाता है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

संख्यापात्र NLS
 अंचलाधिकारी, पटना सदर

NLS
 अंचलाधिकारी, पटना सदर

मुख्यमन्त्री का दाखिल खारिज
 अंचल निरीक्षक का दाखिल खारिज